न्यायालय अपील अधिकारण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या : 13 / 2022

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
1– गिरवरलाल पंवार पुत्र अम्बालाल जाति सैन निवासी हेमसिंह के कटले के बाहर वाली गली, महामंदिर, जोधपुर।		1– इंजीनियर विकास पंवार पुत्र श्री गिरवरलाल पंवार 2– श्रीमती उर्मिला पंवार पत्नी इंजीनियर विकास पंवार जातियान सैन निवासीगण गली नं.–5, प्लॉट नं.70, खुशी विहार मानसरोवर, पत्रकार कॉलानी के पास, जयपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.05.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी,) जोधपुर उत्तर द्वारा प्रकरण सं0 03/2022 गिरवरलाल बनाम इंजीनियर विकास पंवार में पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1– अपीलार्थीगण स्वयं।
2– प्रत्यर्थीपक्ष स्वयं।

आदेश दिनांक 07.12..2022

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी गिरवरलाल पंवार ने उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, उत्तर) के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5, 23 व 24, माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 बाबत् प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को दिये 15 लाख रूपये दिलवाने, प्रार्थी को अपने रहवासीय जायदाद से अप्रार्थीगण बेदखल नहीं करने व प्रार्थी की तमाम चल व अचल सम्पति से अप्रार्थीगण को बेदखल व वंचित करने का पेश किया गया, जिस पर उपखण्ड

लगातार...

अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर बख्शीशनामा दिनांक 13.12.2018 से प्राप्त सम्पति का किसी व्यक्ति, संस्था को बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने का अपीलाधीन आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर (13/2022) कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी कर अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित होने के पश्चात् प्रारम्भिक आपत्तियां मय जबाब दिनांक 03.08.22 एवं लिखित बहस दिनांक 24.08.2022 को प्रस्तुत की जो सामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस दिनांक 17.08.2022 को प्रस्तुत हुई।

अपीलार्थीपक्ष की ओर से से लिखित बहस में बतलाया कि मुझ अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अ/धा 4, 5, 23(1), 24, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रस्तुत किया गया था तथा रेस्पो. सं0 1 व 2 ने अपीलार्थी को प्रेम व सेवा करने का नाटक करते हुए मुझ प्रार्थी को धोखे में रखकर प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार गिफ्टडीड निष्पादित करवा ली तथा गिफ्टडीड करवाने के बाद लम्बे समय तक कोई सेवा चाकरी नहीं की। आगे यह भी कहा कि मुझ अपीलार्थी को जोधपुर आकर रेस्पो.पक्ष ने अपीलार्थी को उसके उक्त रहवासीय मकान से गुण्डा तत्वों के मार्फत बेदखल करने व उक्त मकान को बेचने हेतु ग्राहक भेजे तब प्रार्थी ने सही तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो.ने अपनी गलती मौखिक रूप से स्वीकार की तथा धारा 10 व 11 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा से निपटाने का निवेदन किया, परन्तु उसके पश्चात् रेस्पो. के मन में लालच आने पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाब मनगढन्त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया। बहस मे आगे यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने धारा 23 पढकर सुनवाई तथा उसने रेस्पो. के जबाब का जबाबबुलजबाब भी पेश किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये, इतना होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए उन पर कोई फाईडिंग दिये बिना आदेश प्रदान कर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार कर अपीलार्थी को अपने मालिकाना हक के मकान से बेदखल नहीं करने व रेस्पो.को उक्त मकान किसी को भी उक्त गिफ्ट से आगे किसी व्यक्ति, संस्था आदि को हस्तान्तरण नहीं करने का आदेश दिया गया व अपीलार्थी को धारा 23 व 24 की प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर कानूनी भूल कर उक्त गिफ्टडीड को यह कहते हुए शून्य घोषित करने से इन्कार कर दिया कि अपीलार्थी ने बख्शीशनामा दिनांक 13.12.2018 को निरस्त करवाने बाबत् कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किये और अपीलार्थी ने उक्त बख्शीशनामा धोखे या झांसे में निष्पादित कर दिया हो बाबत् भी कोई गवाह सबूत पेश नहीं किये।

बहस में आगे बतलाया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

लगातार

अपने भाई किशनलाल व भतीज मोहित पंवार व छोटे पुत्र डा. प्रशान्त के साक्ष्य शपथ पत्र मय प्रदर्श 1 से 21 तक दस्तावेज पेश किये जो अपीलार्थी के अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बिल्कुल सही होना प्रमाणित करते थे। बहस के निरन्तर में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट स्वीकार किया कि उक्त गिफ्टडीड में वर्णित जायदाद पर आज भी अपीलार्थी काबिज है और रेस्पो.पक्ष का कोई कब्जा उक्त जायदाद पर न तो पहले था व न ही आज भी कोई कब्जा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में रेस्पो.पक्ष को पाबन्द किया कि वे अपीलार्थी को उक्त जायदाद से बेदखल नहीं करेगें और उक्त जायदाद को उक्त गिफ्टडीड से हस्तान्तरण आदि नहीं करेगें।

बहस के समर्थन में 2018 (3) क्रिमी. 266 (बॉम्बे हाईकोर्ट) व माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की रिट पीटिशन(सी) 2761/2020 व रिट पीटिशन(सी) 2795/2020 पर दिये गये न्याय निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील स्वीकार कर रेस्पो.–1 के पक्ष में निष्पादित बख्शीशनामा दिनांक 13.12. 2018 को धारा 23 व 24 क तहत शून्य घोषित करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में बतलाया कि अपीलांट ने तथ्यों को तोड़–मरोड़कर व मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने यह तथ्य पूर्णरूप से गलत लिख है कि रेस्पो. सं0 1व 2 ने अपीलांट को प्रेम व सेवा करने का नाटक करते हुए धोखे में रखकर गिफ्टडीड निष्पादित करवाई है। वास्तविक तथ्य यह है कि रेस्पो.–एक के दादा स्व. अम्बालाल जी ने अपने जीवनकाल में अपने मेहनत से अपनी स्वअर्जित आय से अपने दोनों पुत्रों (गिरवरलाल व किशनलाल) के लिए वर्ष 1970 में भूखण्ड ख़रीद किया था तथा बेचाननामा इन दोनों के नाम लिखवाया गया था। रेस्पो.–1 के दादा श्री अम्बालाल ने जबाब के साथ प्रस्तुत की गई प्रदर्श–1 के पृष्ठ संख्या–2 में यह स्पष्ट अंकित किया कि ' **यह है कि गिरवरलाल 1968 में डिप्लोमा इलेक्ट्रिक में करने के पश्चात् सन् 1975 तक बेरोजगार रहा और 1975 में नोकरी लग जाने पर उसकी नियुक्ति खेतड़ी जिला सीकर में रही।** ' इसके अनुसार जब स्वयं अपीलांट सन् 1970 में इस जायदाद को खरीदने के समय बेरोजगार थे तो उनके द्वारा अपने व अपने अबोध भाई जो सिर्फ 9 माह का था, के नाम जायदाद खरीदने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है अतः अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलांट के जबाबुलजबाब में बतलाए अनुसार यदि कोई आदेश पारित किए गए है तो यह आदेश तथ्यों व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। बहस में आगे कहा कि अपीलांट ने तो याचिका में यह तथ्य लिखा है कि सेवा व सार–संभाल के लिए झांसे में लेकर गिफ्टडीड लिखा गया है, ऐसा कोई तथ्य न तो गिफ्टडीड में अंकित है, न ही गिफ्टडीड लिखते समय मौजूद किसी गवाह ने ऐसा ही कुछ कहा है। रेस्पो. पक्ष की ओर से साक्षी श्री जेठमल पंवार, महेन्द्र रोहिवाल, सुरेन्द्र रोहिवाल व जयपुर में रेस्पो. के पड़ौसी सत्यनारायण नाथ व त्रिलोकचन्द के साक्ष्य शपथ पत्र भी स्पष्ट तौर से यह दर्शाते है कि वर्ष 2017 से गिरवरलाल अपने पुत्र विकास पंवार के साथ ही रहते थे।

लगातार...

बहस के निरन्तर में कहा कि वास्तविकता यह है कि अपीलांट का पुत्र डॉ. प्रशान्त पंवार स्वय इस जायदाद पर कब्जा कर रेस्पो.पक्ष को इस जायदाद से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने पर आमादा है। अपीलांट का पुत्र डॉ. प्रशान्त पंवार स्वयं इस जायदाद को ओने पोने भाव पर रेस्पो. से खरीदना चाहते है। अपीलांट का यह तथ्य गलत अंकित किया कि रेस्पो. ने धारा 10 व 11 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले को राजीनामा से निपटाने हेतु निवेदन किया और और अपनी गलती स्वीकार की। राजीनामा हेतु मध्यस्थ नियुक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आश्य व ईरादा इस प्रकार नहीं था कि रेस्पो.पक्ष उस गलती को स्वीकार कर लेवे। रेस्पो.पक्ष ने सही तथ्यों के आधार पर जबाब प्रस्तुत किया है। धारा 23 माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम में जो शर्त वर्णित है, वैसी कोई शर्त उपहार विलेख दिनांकित 13.12. 2018 में वर्णित नहीं है और ऐसी किसी शर्त के वर्णित नहीं होने के कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस शर्त का कोई उल्लंघन नहीं होना माना गया है। बहस में समर्थन में एकलपीठ दीवानी रिट याचिका सं0 1936/2022 विनोद शर्मा बनाम शांतिदेवी व अन्य निर्णय दिनांक 21.02.2022 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अंत में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थीपक्ष का मुख्य कथन है कि रेस्पो./अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने प्रार्थी से सेवा व आदर झूठा दिखावा कर झांसे में रखकर दिनांक 13.12.2018 को बक्शीशनामा निष्पादित करवा लिया गया, को शून्य करने की इस्तदुआ की गई। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन करने से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि को लेकर वर्ष 2009 में अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अपने दोनों पुत्रों के मध्य स्वेच्छा से कथित बंटवाड़ा भी किया जाना पाया गया तथा उसके पश्चात् वर्ष 2018 में अपीलार्थी द्वारा रेस्पो./अप्रार्थी–1 के पक्ष में लिखित बक्शीशनामा किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानानुसार वरिष्ठ नागरिक जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् उपहार के जरिये या अन्यथा अपनी सम्पति किसी ऐसी शर्त के अनुसार अंतरित की हो कि अन्तरणी अन्तरक को मूल सुख–सुविधांए और मूल भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसा अन्तरिणी ऐसी सुख सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने में असफल होता है या मना कर देता है तो सम्पति का उक्त अन्तरण कपट या छल द्वारा या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया हुआ माना जायेगा और अन्तरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा व्यर्थ घोषित किया जायेगा, परन्तु अपीलार्थी द्वारा किया गया आलोच्य बक्शीशनामा दिनांक 13.12.2018 में किसी प्रकार का शर्तो का उल्लेख भी नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में उक्त रजिस्टर्ड बक्शीशनामा को उपखण्ड अधीकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, उत्तर) द्वारा शून्य घोषित नहीं कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश में बक्शीशनामा दिनांक 13.12.2018 से प्राप्त सम्पति का किसी व्यक्ति, संस्था को बेचान या हस्तारण नहीं करने का आदेश दिया गया वो हस्तक्षेप योग्य नही है।

अपीलार्थी स्वयं ने बहस में स्वीकार किया कि विवादित जायदाद पर उसका कब्जा व रहवास है अतः प्रत्यर्थीपक्ष 1 व 2 के विरूद्ध यह आदेश भी दिया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा उक्त बक्शीश की गई सम्पति से रेस्पो. पक्ष स्वयं या किसी अन्य से बेदखल की कार्यपाही नहीं करेगें व किसी प्रकार से मारपीट व लड़ाई झगड़ा न करने बाबत् प्रत्यर्थीपक्ष को पाबन्द किया जता है तथा थानाधिकारी महामंदिर, जोधपुर महानगर को भी निर्देशित किया जाता है कि वो किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयं सेवक के साथ अपीलार्थी (वरिष्ठ नागरिक) से भेंट करते रहे एवं उनकी परिवादों/समस्याओं पर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही भी करे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश की प्रति थानाधिकारी महामंदिर, जोधपुर महानगर को पालनार्थ प्रेषित हो।